

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
क्रमांक-एफ.14(13)(1)चुनाव/श्रम/विधि/2015/पार्ट-2/00175

जयपुर, दिनांक:

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव कराने के लिए मतदान की तिथि दिनांक 26.05.2025 निश्चित की गई थी।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा/विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के सम संख्यक पत्रांक -एफ.14 (13) (1) चुनाव/श्रम/विधि/2015/पार्ट-2/00175 दिनांक 16.05.2025 द्वारा आदेश जारी किये गये थे। (प्रति संलग्न)

अब राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के पत्रांक एफ.4(2) (3) नपा/रानिआ/2024/1770 दिनांक 19.05.2025 के द्वारा मतदान की तिथि में परिवर्तन कर दिया गया है। अब यह मतदान दिनांक 08.06.2025 को होगा।

अतः पात्र श्रमिकों/कर्मचारियों को मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश हेतु दिनांक 08.06.2025 के लिए पूर्व आदेश की शर्तों के अनुसार प्रदान किया जावे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(महावीर प्रसाद मीणा)

श्रम आयुक्त

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ.14(13)(1)चुनाव/श्रम/विधि/2015/पार्ट-2/00175
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

जयपुर, दिनांक:

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एवं सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ 4(2)(3)/नपा /रानिआ/2024/1770 दिनांक 19.05.2025 के क्रम में।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना व बॉयलर्स निरीक्षण एवं ई.एस.आई., विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर (समस्त)
6. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त (समस्त) एवं श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे क्षेत्र के सम्बन्धित संस्थानों के नियोजकों को उनके संगठनों तथा प्रेस विज्ञप्ति आदि साधनों के माध्यम से अवगत करावें। श्रमिकों के संगठनों को भी अवगत करावें तथा नियोजकों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करावें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय को प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया में समुचित प्रचार-प्रसार कराने हेतु प्रेषित है।
8. गार्ड पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Prasad Meena

Designation : Commissioner

Date: 2025.05.20 18:04:50 IST

Reason: Approved

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph/FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/2024/1996

दिनांक:- 04/06/2024

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), बारां, धौलपुर, हनुमानगढ़, झालावाड़, जोधपुर, झुन्झुनू, कोटपुतली-बहरोड, कोटा, नागौर, सीकर, सलूम्बर एवं श्रीगंगानगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अम्बा लाल मीणा)

उपसचिव